

न्यायालय सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना
पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :- 55/2011

वादीगण :-

1. भंवरपुरी पुत्र लूम्बपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज
2. मोहनपुरी पुत्र लुम्बपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. स्वर्गीय अरजनपुरी पुत्र दौलपुरी निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के विधिक वारिसान
1/1 बाबूपुरी पुत्र स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
1/2 कैलाशपुरी पुत्र स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
1/3 सुआ पत्नी स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
1/4 जुगतपुरी पुत्र स्व. भीमपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. पूनमपुरी पुत्र स्व. मंगलपुरी जाति स्वामी निवासी डाबली तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. जबरपुरी पुत्र छोगपुरी जाति स्वामी निवासी थाना माता हिंगलाज तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

उपस्थित

- 1 श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता वादीगण
- 2 श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रतिवादीगण

दिनांक :- 01.09.2025

वादीगण द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा संख्या 382 (जालवाला) रकबा 11.05 बीघा व खसरासंख्या 383 रकबा 04.07 बीघा भूमि ग्राम थानमाता हिंगलाज तहसील सिवाना में आई हुई है। उक्त भूमि पर वादीगण का विगत 60 सालो से अन्नय रूप से कब्जा व काश्त किया चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में स्व.अरजनपुरी के नाम से दर्ज थी, परन्तु उक्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता लुम्बपुरी का था। संवत् 2013 में स्व.



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

अरजनपुरी ग्राम थान माता हिंगलाज को छोड़कर अपना रहवास ग्राम चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में बना लिया। स्व.अरजनपुरी व उनके वारिसान कभी भी ग्राम थान माता हिंगलाज नहीं आये। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पिता का ही कब्जा काशत रहे तथा वादीगण के पिता लुम्बपुरी के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि पर वादीगण काबिज हुये। वादग्रस्त कृषि भूमियों पर कभी भी अरजनुपरी या उसके वारिसान काबिज नहीं रहे। सेटलमेंट कर्मचारियों ने सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से उक्त भूमि स्व. अरजनुपरी के नाम दर्ज कर दी, जबकि स्व. अरजनपुरी का कभी भी वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत नहीं रहा। स्व. अरजनपुरी ने समाज के मौजिज लोगो के रूबरू उक्त वादग्रस्त भूमि संवत् 2013 चैतर वद 12 में एक लिखत कर उक्त भूमि वादीगण के पिता लुम्बपुरी के हक बंट व कब्जा काशत की होना तकमील एवं तस्दीक की तथा लूम्बपुरी के देहान्त के बाद उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काशत अनवरत रहा तथा आज रोज भी मौजूद है। परन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों की त्रुटि के कारण वादग्रस्त भूमि अरजनपुरी के नाम दर्ज होने से अरजनपुरी के वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को जरिये विक्रय विलेख बेचान कर दी ऐसा करने को कोई अधिकार अरजनपुरी के वारिसान को नहीं था क्योंकि मौके पर रहवास व कब्जा काशत वादीगण का था अतः उक्त बेचान को शून्य घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि में वादीगण का नाम घोषित किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। अधिवक्ता श्री अचलाराम थोरी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1/1 से 1/4 व 3 की ओर वकालतनामा व वादीगण के वाद-पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के विरुद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए-

तनकी संख्या 1- आया वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 383 रकबा 04.07 बीघा व खसरा संख्या 224/179 रकबा 38.18 बीघा ख.स. 382 रकबा 11.05 बीघा की खातेदारी हक लिखत संवत् 2013 के आधार पर पाने का अधिकारी हैं ?

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 2- आया वादीगण ,प्रतिवादी सं 03 के पक्ष में किया गया बेचाननामा दिनांक 06.09.2011 वादीगण के हको के विरुद्ध शून्यकरणीया घोषित करवाने के अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

तनकी संख्या 3- आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 4- आया प्रतिवादीगण सं 03 के हक पक्ष मे वाद दायरा से पहले निष्पादित एवं पंजीकृत विलेख दिनांक 06.09.2011 की वैधता को प्रश्नगत करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है।

जिम्मेवादी प्रतिवादी सं 03

तनकी संख्या 5- आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नहीं होने से वाद पत्र चलने योग्य नहीं है।

जिम्मे प्रतिवादीगण सं 03

वादीगण की ओर से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी, पी.डब्ल्यू 2 गोरखपुरी, पी.डब्ल्यू 3 मांगपुरी के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, हकतर्कनामा प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 व बेचननामा प्रदर्श 5 व जबरपुरी के हक में करवाये गये बेचननामा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाए गए।

प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहन डी.डब्ल्यू 01 जबरपुरी के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य विक्रेय विलेख दिनांक 06.09.2011 के असल प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी ।

वक्त बहस वादीगण वकील ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का विगत 60 वर्षों से निरन्तर कब्जा है तथा उक्त भूमि पर वादीगण के रहवास भी बने हुये किन्तु सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने सहवन से वादग्रस्त भूमि में अरजनपुरी का नाम दर्ज कर दिया अरजनपुरी संवत् 2013 में अपने परिवार के साथ ग्राम थान माता हिंगलाज को छोडकर ग्राम चाडो की ढाणी पूर्व तहसील बाडमेर वर्तमान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में रहवास करने लगे। अरजनपुरी व उसके वारिसान कभी भी वादग्रस्त भूमि पर नहीं आये, स्व. अरजनपुरी ने समाज के मौजिज लोगो के रूबरू उक्त वादग्रस्त भूमि संवत् 2013 चैतर वद 12 में एक लिखत कर उक्त भूमि वादीगण के पिता लुम्बपुरी के हक बंट व कब्जा काश्त की होना तकमील एवं तस्दीक की तथा लिखत में अंकन किया है कि वादग्रस्त भूमि गलती से अरजनपुरी के नाम उतरी है जो लुम्बपुरी के बंट मे है तथा इसमें अरजनपुरी के बेटा व पौत्र का कोई हक नहीं होगा । वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त वादीगण के पिता का था तथा लूम्बपुरी के देहान्त के बाद वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त अनवरत रहा तथा आज रोज भी मौजूद है। वादीगण वकील ने निवेदन किया कि स्व.अरजनुपुरी के वारिसान में



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) मिगाना

राजस्व रेकर्ड में सहवन से अरजनपुरी का नाम दर्ज होने का लाभ लेते हुए वादग्रस्त आराजी का बिना हक अधिकार व बिना कब्जा होते हुए दिनांक 08.08.2003 व 06.09.2011 को किया गया बेचान अवैध होने से वादीगण के हको तक शून्यकरणीय घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम घोषित किया जाना का आदेश फरमाया जावे।

प्रतिवादी अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 का वादग्रस्त भूमि में 2/3 हिस्सा का खातेदार है प्रतिवादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज काशत है। अरजनपुरी द्वारा कभी भी वादग्रस्त भूमियों पर काशत करना नहीं छोडा और न कोई लिखित इत्यादि वादीगण के हक में निष्पादित वादीगण के कथनानुसार अरजनपुरी द्वारा निष्पादित ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण के पास होता तो संवत् 2013 से वाद पत्र पेश होने तक उक्त दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करते, वादीगण ने कूटरचित बिना स्टाम्प ड्यूटी का अपंजीकृत बेचाननामा दुषित सलाह से वाद दायरा से तत्काल पूर्व विनिर्मित किया है, वादीगण अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करना है किन्तु जो साक्ष्य वादीगण ने प्रस्तुत किये है उसके आधार पर वादीगण अपने वाद मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर साबित करने पर असफल रहे है। प्रतिवादी संख्या 3 के हक में पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 06.09.2011 प्रदर्श अंकित को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा न्याय निर्णित कर शून्य घोषित नहीं किया गया, ऐसी संस्वीकृति वादीगण की रही व है संस्वीकृत उत्तम साक्ष्य का घोटक है। प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने कथन किया कि हकतर्कनामा के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टांत 2001 डी.एन.जे राजस्थान पेज नम्बर 679 गणपतमल बनाम सुखराज के अनुसार "Evidence Act,1872 Sec.91 -Registration Act, 1908-Soc.49- Deed of relinquishment of title-Deed was neither properly stamped nor registered one -Held , It is inadmissible in evidence-Such a deed cannot be received in evidence even for collateral purpose पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार हकत्याग का विलेख पंजीकृत होना आज्ञापक रूप से आवश्यक है इस प्रकार उक्त दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य है इसके अलावा वादीगण ने मौके पर कब्जा काशत के भी कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये है। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने आगे लिखित बहस में निवेदन किया कि सम्पत्ति अन्तरण के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की हुई है कि Of sales of immovable property section 54, sale define.-'Sale' is a transfer of ownership in exchange for a price paid of promised or part-paid and part -promised in the case of tangilble immovable property of a value than on hundred rupees.such transfer may be made either by a registerd instrument or by delivery of the property.Delivery of tangible immovable poroerty takes place when the seller places the buyer,or such person as he directs,in possession of the proerty. Contract of sales- A cotract for sales of



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) भिवाना

immovable property is a contract that a sales of such property shall take place in terms settled between the parties .it does not, of itself, create an interest in, or charge on such property. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधिमत सुरज लैम्प इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा न्यायिक दृष्टांत 2011 डी.एन.जे. में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि Transfer of property Act,1882 Secs.5, 54 Registration Act,1908 Sec.17- Transfer of property -sale of immovable property Agreement to sale does not create any interest in or charge on such property-Transfer of an immovable property can only be made by way of sale by a sale deed and in absence of sale deed no right,title or interest can be transferred-Agreement to sale which is not a regd.deed of conveyance would not confer any title which is not a regd.deed of conveyance would not confer any title which is not a reg. deed of conveyance would not confer any title nor transfer any interest in the immovable property (Pars 11,12) प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने लिखित बहस में कथन किया है कि वादीगण ने वादपत्र के साथ या साक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज जो पंजीकृत हो एवं जिसके जरिये वादग्रस्त भूमि का हक अन्तरित किया गया हो या प्रतिवादी संख्या 3 के हक में सप्रतिफल तत्समय के रेकडर्ड खातेदार द्वारा भूमि अन्तरित की को निरस्त किया गया हो के बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी भंवरसिंह द्वारा अरजनपुरी ने वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 पूनमपुरी के हक में निष्पादित बेचाननामा में साख के हस्ताक्षर किये है जो कि वादी के संस्वीकृति है कि वादग्रस्त भूमि का रेकडर्ड खातेदार अरजनपुरी का था विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि संस्वीकृति के विपरित अन्य कोई कथन किया जा सकता है। इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त भूमि में कोई हक हित अधिकार न तो कभी रहे और न है। लिहाजा वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।



हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात एवं न्यायिक दृष्टांतों का गम्भीतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया वादीगण ने अरजनपुरी द्वारा वादग्रस्त भूमि को वादीगण के पक्ष में लिखत किये जाने से वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी द्वारा किये गये बेचान को शून्यकरणीय हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत लिखत रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं होने तथा मौके पर वादीगण का कब्जा काशत नहीं होने से वादपत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली पर कायम निम्न तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) मिथाना

तनकी संख्या -1 आया वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 383 रकबा 04.07 बीघा व खसरा संख्या 224/179 रकबा 38.18 बीघा व खसरा संख्या 382 रकबा 11.05 बीघा की खातेदारी हक लिखत संवत् 2013 के आधार पर पाने के अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी, पी.डब्ल्यू 2 गोरखपुरी, पी.डब्ल्यू 3 मांगपुरी के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, हकतर्कनामा प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 व बेचाननामा प्रदर्श 5 व जबरपुरी के हक में करवाये गये बेचाननामा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाए। वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी ने जिरह के दौरान कथन किया है कि प्रदर्श 3 पर न तो उसके हस्ताक्षर है न ही उसकी उपस्थिति है तथा प्रदर्श 3 के समय उसकी आयु 12 वर्ष थी, प्रदर्श 5 का खरीददार उसके बेटा ससुर है जिसके बेचानकर्ता सकपुरी के वारिस है, वादग्रस्त भूमि लुम्बपुरी की अकेले खातेदारी की है तथा अरजनपुरी का नाम गलत दर्ज हुआ है, वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी ने आगे कथन किया है कि प्रदर्श 5 में ए से बी उसने साख राजी खुशी डाली थी जो उसने अपनी बेटी को हिस्सा देने हेतु उसके बेटे के ससुर पूनमपुरी के नाम करवाई गयी जिसकी लिखावट भी उसके द्वारा की गई है, वादी गवाह ने जिरह में यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि वाद दायर करते समय लुम्बपुरी जीवित थे या नहीं, वादी गवाह ने यह स्वीकार किया है कि लुम्बपुरी स्वयं ने वादग्रस्त भूमि को अपने नाम खातेदारी दर्ज करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई, वादी गवाह पी.डब्ल्यू 2 गोरखपुरी ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श 3 पर न तो उसके हस्ताक्षर है न ही उसकी उपस्थिति का अंकन है प्रदर्श 3 पर भूराराम व रगपुरी के हस्ताक्षर थे और किसके थे उसे पता नहीं है वादी गवाह पी.डब्ल्यू 2 ने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि के दो ही खातेदार है एक पुनमपुरी व दूसरा भंवरपुरी वादग्रस्त भूमि में 10.00 बीघा का खातेदार भंवरपुरी है पुनमपुरी को भंवरपुरी ने भूमि बेचान की थी, वक्त सेटलमेन्ट के समय उसका जन्म नहीं होने से उसे ज्ञात नहीं है कि वादग्रस्त भूमि का वक्त सेटलमेन्ट खातेदार कौन था व कौन काश्त करता था, वादी गवाह पी.डब्ल्यू 3 मांगपुरी ने जिरह में कथन किया कि प्रदर्श 3 की लिखत भूराराम राव के हाथ की है उस लिखत पर रगपुरी, अरजनपुरी, नारायणजी व लुम्बपुरी इन सभी के अंगुठे व भूराराम के हस्ताक्षर है क्योंकि भूराराम पढा लिखा है वादी गवाह ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि की लिखत उसके रूबरू नहीं हुई है लिखत की बात तुलसपुरी, रगपुरी, भूरजी राव व लुम्बपुरी से सुनी थी।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, हकतर्कनामा प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 व बेचाननामा प्रदर्श 5 व जबरपुरी के हक में करवाये गये बेचाननामा प्रदर्श 6 प्रदर्शित का गंभीरता से अवलोकन किया। वादी साक्ष्य पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी, पी.डब्ल्यू 2 गोरखपुरी व पी.डब्ल्यू



सहायक कलक्टर
(S.D.O.) मिर्जापुर

, मांगपुरी का शपथ पत्र व जिरह का विवेचन किया । रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 54 के अनुसार 100 रूपये से अधिक मूर्त चल संपत्ति के मामले में या पुनरीक्षण या अन्य अमूर्त वस्तु केवल पंजीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधिमत सुरज लैम्प इण्डस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा न्यायिक दृष्टांत 2011 डी.एन.जे अनुसार सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम 1882 धारा 5,54 पंजीकरण अधिनियम 1908 धारा 17 सम्पत्ति का हस्तान्तरण —अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए समझौता ऐसी सम्पत्ति पर कोई हित या भार नहीं बनता है अचल सम्पत्ति का हस्तान्तरण केवल बिक्री के माध्यम से किया जा सकता है, बिक्री विलेख की अनुपस्थिति में कोई अधिकार, शीर्षक या हित हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हकतर्कनामा रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है। पंजीयन एक्ट की धारा 54 के प्रावधाननुसार उक्त हकतर्कनामा रजिस्टर्ड नहीं होने से उक्त हकतर्कनामा शून्य है। वादीगण ने उक्त लिखत के आधार पर वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषणा हेतु वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है लिखत के आधार पर खातेदार घोषित किया जाना का क्षेत्राधिकारी व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है लुम्बपुरी द्वारा लिखत के आधार पर किसी सक्षम न्यायालय में खातेदारी अधिकार हेतु दावा नहीं किये जाने बाबत वादीगण द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है, प्रदर्श 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि अरजनपुरी के वारिसान सकापुरी के उत्तराधिकारियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को दिनांक 08.08.2003 को जरिये विक्रेय विलेख बेचान की गई उक्त बेचान बाबत वादीगण द्वारा कोई उज्र एतराज या कोई अनुतोष नहीं चाहा है तथा सकापुरी के वासिसान द्वारा किये गये बेचान पर वादी भंवरपुरी द्वारा साख भी दी गई है। वादी संख्या 1 भंवरपुरी द्वारा साख दिया जाने से स्पष्ट प्रतीत है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की कब्जा काशत या खातेदारी की नहीं थी, वादीगण मौखिक साक्ष्य या दस्तावेज से यह सिद्ध करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि लुम्बपुरी को जरिये लिखत संवत् 2013 में अरजनपुरी से प्राप्त हुई हो, लिहाजा उक्त तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।



तनकी संख्या 2 व तनकी संख्या 4 का परस्पर आश्रित होने के कारण एक साथ विवेचन किया जाना उचित होने से एक साथ विवेचन किया जाता है।

तनकी संख्या 2 —आया वादीगण ,प्रतिवादी सं 03 के पक्ष में किया गया बेचाननामा दिनांक 06.09.2011 वादीगण के हको के विरुद्ध शून्यकरणीया घोषित करवाने के अधिकारी है ? जिम्मे वादीगण

तनकी संख्या 4— तनकी संख्या 4 आया प्रतिवादीगण सं 03 के हक पक्ष में वाद दायरा से पहले निष्पादित एवं पंजीकृत विलेख दिनांक 06.09.2011 की वैधता को प्रश्नगत करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त नहीं है।

जिम्मेवादी प्रतिवादी सं 03

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवान

वादी गवाह पी.डब्ल्यू 1 भंवरपुरी, पी.डब्ल्यू 2 गोरखपुरी व पी.डब्ल्यू 3 ने बयानात कलमबद्ध करवाये तथा वाद पत्र को साबित करने के लिए जमाबंदी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, नक्शा प्रदर्श 2, हकतर्कनामा प्रदर्श 3, खसरा गिरदावरी प्रदर्श 4 व बेचाननामा प्रदर्श 5 व जबरपुरी के हक में करवाये गये बेचाननामा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई, जिसमे यह कहीं भी सिद्ध नहीं कर पाये की लिखत के आधार पर वादग्रस्त भूमि स्व.लुम्बपुरी की कब्जा काशत की रही हो। जिसको बेचान करने का अधिकार स्व.अरजनुपरी के वारिसान का नहीं रहा हो।

प्रतिवादी साक्ष्य डी.डब्ल्यू 1 जबरपुरी के बयान कलमबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में विक्रेय विलेख 06.09.2011 असल प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये। वादीगण अधिवक्ता ने जिरह में यह सिद्ध नहीं कर पाये कि वादग्रस्त भूमि लुम्बपुरी की कब्जा काशत की है, प्रतिवादी ने जिरह में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि पर कभी भी भंवरपुरी का कब्जा काशत करते नहीं देखा गया। वाद पत्र अनुसार अरजनुपरी द्वारा संवत् 2013 में वादग्रस्त भूमि का लिखत वादीगण के पिता लुम्बपुरी को कर दिया वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काशत हो। वादीगण द्वारा वाद पत्र में दिनांक 06.09.2011 को शून्यकरणीय का अनुतोष चाहा है जबकि वादग्रस्त भूमि का अरजनुपरी के उत्तराधिकारी सकापुरी के वारिसान द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 पुनमपुरी के किये गये बेचान को वादीगण द्वारा प्रश्नगत नहीं किया है जिसकी साख वादी भंवरपुरी ने दी थी, इससे प्रतीत होता है कि वादीगण साफ हाथों से उक्त वाद पत्र पेश नहीं किया है। Special Relif Act 1963 - Section 31 के तहत विक्रेय विलेख को शून्यकरणीय का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 वादीगण साबित करने में असफल रहे है जिसके फलस्वरूप तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3- आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है ?

जिम्मे वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादीगण द्वारा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की मुख्य इस्तदुआ चाही है। वादीगण तनकी संख्या 1 व 3 को सबित करने में असफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि स्व.लुम्बपुरी को लिखत के आधार पर प्राप्त हुई ,मौके पर वादीगण का कब्जा काशत है तथा अरजनुपरी के वारिसान को वादग्रस्त भूमि का बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। वादीगण तनकी संख्या 1 व 3 साबित करने में विफल रहने से यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।



सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) मिथाना

तनकी संख्या 5 - आया वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा नही होने से वाद पत्र चलने योग्य नही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण सं 03

यह तनकी सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 3 का है। वादीगण ने वाद पत्र में कब्जा काशत के आधार पर खोतेदारी की इस्तदुआ चाही है। वादीगण ने मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य में यह पूर्णतया सिद्ध करने मे विफल रहे है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण की कब्जा काशत की रही हो। वादीगण तनकी संख्या 1 को सिद्ध करने मे असफल रहे है। लिहाजा तनकी संख्या प्रतिवादी संख्या 2 के निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वादीगण तनकी संख्या 1 से 3 साबित करने मे असफल रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 3 तनकी संख्या 4 व 5 को सिद्ध करने मे बखूबी सफल रहा है। अतः वादीगण का वाद पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिविल

निर्णय आज दिनांक 01.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) सिविल

डिक्री व मुकदमे इत्बादाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :- 55/2011

वादीगण :-

1. भंवरपुरी पुत्र लुम्बपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज
2. मोहनपुरी पुत्र लुम्बपुरी जाति स्वामी निवासी थान माता हिंगलाज

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. स्वर्गीय अरजनपुरी पुत्र दौलपुरी निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के विधिक वारिसान
1/1 बाबूपुरी पुत्र स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
1/2 कैलाशपुरी पुत्र स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
1/3 सुआ पत्नी स्व. गोकलपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी
निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
1/4 जुगतपुरी पुत्र स्व. भीमपुरी (पुत्र स्व. अरजनपुरी) जाति स्वामी निवासी
चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा
2. पूनमपुरी पुत्र स्व. मंगलपुरी जाति स्वामी निवासी डाबली तहसील सिवाना जिला बालोतरा
3. जबरपुरी पुत्र छोगपुरी जाति स्वामी निवासी थाना माता हिंगलाज तहसील सिवाना जिला बालोतरा
4. राजस्थान राज्य ज़रिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक: - 01.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दई श्री अचलाराम थोर अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद तनकी संख्या 1 से 3 साबित करने मे असफल रहने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.09.2025 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना